न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/37 **दायरा दिनांक : 06.05.2024**

उनवान

1. नाथीबाई जोजे घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
2. . घासीलाल पुत्र औंकारलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   - 2/1. भैरूलाल पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/2. बलराम पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/3. महादेव पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/4. नन्दकंवरी बाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/5. ग्यारसीबाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/6. मांगीबाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/7. चन्द्रकला पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   - 2/8. भूलीबाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
3. राधेश्याम पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन, झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

चन्द्रकला पत्नी बापूलाल, जाति मेघवाल, निवासी झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री शैलेन्द्र पोषवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 13.05.2026**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 746/दावा/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मालीपुरा, पटवार हल्का गिन्दोर, खाता संख्या नया 17 पुराना 17 खसरा नं. 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 374/77 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा आराजी वादी की खातेदारी में स्थित है तथा ग्राम मालीपुरा, पटवार हल्का गिन्दोर, खाता संख्या नया 39 पुराना 39 खसरा नं. 78/304 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 373/28 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा आराजी प्रतिवादी वादी की खातेदारी में स्थित है। वादी की आराजी खसरा नं. 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 78/304 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है जिसकी सीमा रेखा के बारे में प्रतिवादीगण आये दिन विवाद करते रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम मालीपुरा, पटवार हल्का गिन्दोर, खसरा नं. 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 374/77 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा वादी रेस्पोडेंट के खातेदारी में स्थित है तथा खसरा नं. 78/304 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 373/28 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी नं. 1 अपीलांट के खातेदारी में स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा नं. 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 78/304 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जिसकी सीमा रेखा के बारे में प्रतिवादीगण आये दिन विवाद करने व खसरा नं. 78/305 की ओर बढने से रोकने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया, जबकि वादी ने दिनांक 28.09.2015 को एक दावा प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ आराजी खसरा नं. 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 374/77 रकबा 10 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा वादी रेस्पोडेंट के खातेदारी में स्थित है तथा खसरा नं. 78/304 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी के खातेदारी में स्थित है। खसरा नं. 78/304 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में प्रतिवादी को पाबन्द कराने के संबंध में पहले से ही स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश कर रखा था जिसका दावा संख्या 587/2015 है तथा उक्त दावा दिनांक 24.07.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है इस प्रकार रेस्पोडेंट ने एक ही आराजी के संबंध में दो दावे पेश किये हैं

(दीप्ति शर्मा मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पूर्व का दावा विचारण के दौरान ही दूसरा दावा पेश कर डिक्री करवा लिया जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है तथा रेसजूडिकेटा की श्रेणी में आता है यह पूरी प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत की गई है, जो काबिल गौर है। प्रतिवादी अपीलांट नं. 2 घासी की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उसके कायम मुकामान को अपीलांट्स बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री खारिज फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.02.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.10.2021 को जवाब बन्द कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी का अवसर नहीं दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट चन्द्रकला द्वारा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मालीपुरा, पटवार हल्का गिन्दोर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता संख्या 17 में खसरा नं. 78/305 रकबा 9.16 बीघा, खसरा नं. 374/77 रकबा 0.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10.06 बीघा आराजी वादी की खातेदारी मे स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मालीपुरा, पटवारा हल्का गिन्दोर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता संख्या 39

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की खसरा नं. 78/304 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नं. 373/28 रकबा 3.04 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4.16 बीघा आराजी प्रतिवादी नं. की खातेदारी में स्थित है। वादी की आराजी खसरा नं. 78/305 रकबा 9.16 बीघा के दक्षिणी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नं. 78/304 रकबा 1.12 बीघा स्थित है जिसमें सीमा रेखा के बारे में प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 में आये दिन विवाद करते रहते है, वे इस सीमा रेखा को बदलते हुए वादी की आराजी खसरा नं. 78/305 की ओर बढ़ रहे है। प्रतिवादीगण ने शनैः शनैः वादी की अनुपस्थिति में सीमा रेखा को हंकाई की, वादी की आराजी पर टापरी बनाई तथा अब वे मकान बनाने के लिए नींवे खोद रहे है। अतः प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी कर उन्हे पाबंद किया जाये कि वे वादी के खाते कब्जे की आराजी की ओर बढ़कर वादी की सीमा से अवैधानिक हस्तक्षेप कर कब्जा करने की कोशिश न करे, वादी की आराजी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे, न ही किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने की धमकी दे। दौराने वाद किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करने में सफल होने की अवस्था में वाद प्रस्तुत करने की तिथि की स्थिति में परिवर्तन प्रत्यास्थापित करवाया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2022 से वादिया का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 78/305 रकबा 9.16 बीघा वर्तमान खसरा नं. 78/305 रकबा 2.4784 हेक्टर की सीमा में अवैधानिक हस्तक्षेप कर विद्यमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय पारित किया। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट/प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आराजी के सन्दर्भ में पूर्व में दिनांक 28.09.2015 को एक दावा प्रतिवादी को पाबन्द कराने के सम्बन्ध में पहले से ही स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश कर रखा था। जिसकी दावा संख्या 587/2015 है तथा उक्त दावा दिनांक 24.07.2023 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुआ है। इस प्रकार रेस्पोडेंट ने एक ही आराजी के सम्बन्ध में दो दावे पेश किये हैं। पूर्व का दावा विचारण के दौरान ही दूसरा दावा पेश कर डिक्री करवा लिया जो प्राकृतिक न्याय के सर्व मान्य सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है तथा रेसजूडिकेटा की श्रेणी में आता है परन्तु अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन की पुष्टि हेतु पूर्व के दावे से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलांट द्वारा अपील में अंकित उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन अनुसार वर्तमान में विचाराधीन वाद संख्या 746/2018 में प्रतिवादी अपीलांट की ओर से दिनांक 18.03.2019 को अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र पोसवाल का वकालतनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गया परन्तु वकालतनामा प्रस्तुत करने के बाद भी अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये।

अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट को जवाबदावा पेश करने का अवसर दिये बिना जवाब बन्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन अनुसार दिनांक 18.03.2019 को अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र पोसवाल द्वारा प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 की ओर से वकालतनामा पेश करने के बाद प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रदान किये गये। दिनांक 04.12.2019 को अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी दिनांक 15.01.2020, 18.03.2020 एवं 16.09.2020 को पुनः जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये गये हैं परन्तु प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को नियमानुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध जवाब दावा बन्द करने की कार्यवाही अमल में लायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/05/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. नाथीबाई जोजे घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
2. घासीलाल पुत्र औंकारलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. भैरूलाल पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/2. बलराम पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/3. महादेव पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/4. नन्दकंवरी बाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/5. ग्यारसीबाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/6. मांगीबाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/7. चन्द्रकला पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
   2/8. भूलीबाई पुत्री घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन
3. राधेश्याम पुत्र घासीलाल, जाति लोधा, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील झालरापाटन, झालावाड राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

चन्द्रकला पत्नी बापूलाल, जाति मेघवाल, निवासी झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, झालावाड राज0

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024/37**
मु.द.नं0 **746/दावा/2018**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **14.11.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **17 माह 04** सन् **2026**

श्री **शैलेन्द्र पोषवाल** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **13 माह 05 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)